न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 345 सन 2022

अनवान :–

1. सीताराम पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामकिशन पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तसहील नोहर।
2. शकुन्तला पत्नी रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. ग्यारसी पुत्री रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
5. गणपतराम पुत्र लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
6. अमरसिह पुत्र ठाकरसिह जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
7. लालचन्द पुत्र ठाकरसिह जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
8. मांगीलाल पुत्र ठाकरसिह जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
9. मनी पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
10. गुडडी पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
11. गोमती पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

13. श्योकोरी पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
14. घोली पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोंशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 15/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 250/257 की कुल 7.7140हैक गणतपराम , ठाकरसिह , दाखादेवी , धारूराम , परमेश्वरीदेवी , रामलाल , सुखराम प्रत्येक 1/7 –1/7 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

वादी के दादा लिछमण का देहान्त हो चुका है लिछमण के दो पत्नीया दाखा, परमेश्वरी थी दोनो पत्नीयों का देहानत हो चुका है पहली पत्नी परमेश्वरी के वारिसान श्योकारी, धोली, ठाकरसिह उर्फ कालूराम , धारूराम ,गणपतराम हुए जिसमें से धारूराम व इमरती लावल्द फोत हो चुके है तथा ठाकरसिह के वारिसान अमरसिह , लालचन्द व मांगीलाल हुए तथा दुसरी पत्नी दाखा के वारिसान मनीदेवी , गुडडी , गोमती, रामलाल व सुखराम हुए तथा सुखराम व उसकी पत्नी तीजादेवी लावल्द फोत हो चुके है दाखा का एक पुत्र रामलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसकी वारिस उसकी धर्मपत्नी शकुन्तला , सीताराम, ग्यारसी , रामकिसन व सुमन है।

उक्त भूमि में प्रमेश्ववरी, ठाकरसिह उर्फ कालूराम , गणपतराम, दाखा, रामलाल , सुखराम के देहान्त होने के बाद सजरा खानदान के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 ,14 के हक हिस्सा की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने/माता एवं रामलाल की पुत्री /पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 जो वादी की बहने एवं लिछमण की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो /चाचा/माता/ के पक्ष मे त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 8 ,13 ,14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 , 14 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की जो वादी के पूर्वज के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 8 ,13, 14 के हक हिस्सा की भूमि है को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 ,14 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 ,14 ने निवेदन किया की वादी के दादा लिछमण का देहान्त हो चुका है लिछमण के दो पत्नीया दाखा, परमेश्वरी थी दोनो पत्नीयों का देहानत हो चुका है पहली पत्नी परमेश्वरी के वारिसान श्योकारी, धोली, ठाकरसिह उर्फ कालूराम , धारूराम ,गणपतराम हुए जिसमें से धारूराम व इमरती लावल्द फोत हो चुके है तथा ठाकरसिह के वारिसान अमरसिह , लालचन्द व मांगीलाल हुए तथा दुसरी पत्नी दाखा के वारिसान मनीदेवी , गुडडी , गोमती, रामलाल व सुखराम हुए तथा सुखराम व उसकी पत्नी तीजादेवी लावल्द फोत हो चुके है दाखा का एक पुत्र रामलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसकी वारिस उसकी धर्मपत्नी शकुन्तला , सीताराम, ग्यारसी , रामकिसन व सुमन है अर्थात वाद भूमि सजरा खानदान के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 ,14 के हक हिस्सा की भूमि है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,9 ता11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता/माता/ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 8 ,13 ,14 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 8 ,13 ,14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 8 ,13 ,14 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 250/257 की कुल 7.7140हैक गणतपराम , ठाकरसिह , दाखादेवी , धारूराम , परमेश्वरीदेवी , रामलाल , सुखराम प्रत्येक 1/7 –1/7 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

वादी के दादा लिछमण का देहान्त हो चुका है लिछमण के दो पत्नीया दाखा, परमेश्वरी थी दोनो पत्नीयों का देहानत हो चुका है पहली पत्नी परमेश्वरी के वारिसान श्योकारी, धोली, ठाकरसिह उर्फ कालूराम , धारूराम ,गणपतराम हुए जिसमें से धारूराम व इमरती लावल्द फोत हो चुके है तथा ठाकरसिह के वारिसान अमरसिह , लालचन्द व मांगीलाल हुए तथा दुसरी पत्नी दाखा के वारिसान मनीदेवी , गुडडी , गोमती, रामलाल व सुखराम हुए तथा सुखराम व उसकी पत्नी तीजादेवी लावल्द फोत हो चुके है दाखा का एक पुत्र रामलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसकी वारिस उसकी धर्मपत्नी शकुन्तला , सीताराम, ग्यारसी , रामकिसन व सुमन है।

उक्त भूमि में प्रमेश्ववरी, ठाकरसिह उर्फ कालूराम , गणपतराम, दाखा, रामलाल , सुखराम के देहान्त होने के बाद सजरा खानदान के अनुसार वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 ,14 के हक हिस्सा की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो वादी की बहने/माता एवं रामलाल की पुत्री /पत्नी है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 जो वादी की बहने एवं लिछमण की पुत्रीया है प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो /चाचा/माता/ के पक्ष मे त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 8 ,13 ,14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 1 ,13 ,14 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 250/257 की कुल 7.7140हैक गणतपराम , ठाकरसिह , दाखादेवी , धारूराम , परमेश्वरीदेवी , रामलाल , सुखराम प्रत्येक 1/7 –1/7 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वादी के दादा लिछमण का देहान्त हो चुका है लिछमण के दो पत्नीया दाखा, परमेश्वरी थी दोनो पत्नीयों का देहानत हो चुका है पहली पत्नी परमेश्वरी के वारिसान श्योकारी, धोली, ठाकरसिह उर्फ कालूराम , धारूराम ,गणपतराम हुए जिसमें से धारूराम व इमरती लावल्द फोत हो चुके है तथा ठाकरसिह के वारिसान अमरसिह , लालचन्द व मांगीलाल हुए तथा दुसरी पत्नी दाखा के वारिसान मनीदेवी , गुडडी , गोमती, रामलाल व सुखराम हुए तथा सुखराम व उसकी पत्नी तीजादेवी लावल्द फोत हो चुके है दाखा का एक पुत्र रामलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसकी वारिस उसकी धर्मपत्नी शकुन्तला , सीताराम, ग्यारसी , रामकिसन व सुमन है जो सजरा खानदान के अनुसार वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकरी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 ,14 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात से भी वादी के कथनो की पुष्टि होती है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,9 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 , 9 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,5 ता 8 ,13 ,14 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ,9 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ,13 ,14 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 250/257 की कुल 7.7140हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 3.306हैक , प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.653हैक प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिब 1.653हैक , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ,14 बहिब 1.1020हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सीताराम पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामकिशन पुत्र रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तसहील नोहर।
2. शकुन्तला पत्नी रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
3. ग्यारसी पुत्री रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
4. सुमन पुत्री रामलाल जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
5. गणपतराम पुत्र लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
6. अमरसिह पुत्र ठाकरसिह जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
7. लालचन्द पुत्र ठाकरसिह जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
8. मांगीलाल पुत्र ठाकरसिह जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
9. मनी पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
10. गुडडी पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
11. गोमती पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

13. श्योकोरी पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।
14. घोली पुत्री लिछमण जाति मेधवाल निवासी मेधाना तहसील नोहर।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 345 सन 2022 निर्णय दिनांक– 15/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 250/257 की कुल 7.7140हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 3.306हैक , प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.653हैक प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 बहिब 1.653हैक , तरतीबी प्रतिवादी संख्या 13 ,14 बहिब 1.1020हैक भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर